बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

सं0सं0-3/यो0-03/2019

प्रेषक,

विजय रंजन,
संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषय: मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य में वृद्धजनों के सम्मानपूर्ण जीवन यापन हेतु एक नयी योजना "मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना" जिसमें राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष से अन्यून हो और जिन्हें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त न हो रहा हो, उन्हें 60-79 आयु वर्ग के लिए 400 (चार सौ) रूपये एवं 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500 (पांच सौ) का मासिक पेंशन देय होगा तथा जो वितीय वर्ष 2019-20 अर्थात 01.04.2019 से भुगतेय होगा की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. राज्य में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणन के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लगभग 92.50 लाख वृद्धजन होंगे जिसमें केन्द्र/राज्य सरकार से कोई वेतन, पेंशन, पारिवारिक पेंशन या सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्तकर्ता लगभग 56 लाख वृद्धजन ही होंगे। इस प्रकार राज्य के अवशेष 36.50 लाख वृद्धजन ऐसे है जिन्हें सम्मानपूर्ण जीवनयापन हेतु सम्प्रति कोई पेंशन का लाभ सरकार द्वारा प्रदत नहीं है।

3. इस योजना के सफल संचालन हेतु 1 प्रतिशत आकस्मिकता मद में राशि की आवश्यकता होगी तथा योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 1800.00 करोड (एक हजार आठ सौ) करोड का व्यय भार संभावित है।

4. मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना अन्तर्गत लाभार्थी विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर प्रखण्ड कार्यालय स्थित RTPS काउन्टर पर जमा कर तय समय सीमा के अंदर योजना का लाभ ले सकते है।

5. इस योजना का संचालन सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा किया जायेगा। इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे तथा इसके नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, सामाजिक सुरक्षा होंगे।

6. इस योजना के लिए अलग बैंक खाता 'सक्षम' में संधारित होगा, जिससे इस योजना के लिए State Lavel DBT के द्वारा nodal account से लाभार्थी को भुगतान किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यवसायिक बैंक में भी खोला जा सकता है। समाज कल्याण विभाग को भुगतान प्रक्रिया आवश्यकतानुसार संशोधित करने का अधिकार होगा।

7. इस योजना के लिए राशि नये बजट शीर्ष के तहत विकलनीय होगी। वितीय वर्ष 2019-20 में इस योजना हेतु स्वीकृत राशि की निकासी मांग संख्या-51 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-लघु शीर्ष-101-राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन-उपशीर्ष-0101-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विपत्र कोड 51-2235031010101 तथा मुख्य शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-03-राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियां के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0101-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, विपत्र कोड 51-2235037890101 के अधीन शीर्ष के अधीन विकलनीय होगी।

8. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं-3/यो0-3/2019 के टिप्पणी पृ0-04/टि0 पर दिनांक 15.02.2019 को माननीय विभागीय मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

9. स्वीकृत्यादेश पर संचिका सं-3/यो0-3/2019 के पृ0-05/प0 पर दिनांक 18.02.2019 को मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
ह0/-
(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :-3/यो0-3/2019/...1130....... पटना, दिनांक 21.02.19

प्रतिलिपि- सचिव/योजना एवं विकास विभाग/प्रधान सचिव, वित विभाग/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/प्रबंध निदेशक, महिला विकास निगम/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, समाज कल्याण निदेशालय,/लेखा शाखा, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/वित विभाग (बजट शाखा)/समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा) सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग एवं सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विजय रंजन)
संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।